तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	[illegible] 127/2022	
15.09.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी की ओर से मिस्ल तलब प्रार्थना पत्र मय शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश होने एवं शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति पर पत्रावली आज की पेशी में ली गई । शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।	[illegible] Sharma [illegible]

[illegible] 15/09/23

सह[illegible]क)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
127 / 2022	204 / 2022	01.09.2022	15.09.2023(अंतिम डिक्री)

1. सुधाकर दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित उम्र 38 वर्ष जाति– ब्राह्मण निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
2. कानाराम पुत्र तेजाराम उम्र 65 वर्ष जाति– जाट
3. किशनाराम पुत्र तेजाराम उम्र 55 वर्ष जाति– जाट
4. जयसिंह पुत्र फौजूसिंह उम्र 62 वर्ष जाति– राजपुत
5. नाथूसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उम्र 65 वर्ष जाति– राजपुत
6. फूलकंवर पत्नि सज्जनसिंह उम्र 80 वर्ष जाति– राजपुत
7. फूलाराम पुत्र मांगुराम उम्र 36 वर्ष जाति– जाट
8. भंवरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 60 वर्ष जाति– राजपुत
9. मन्जूकंवर पुत्री सज्जनसिंह उम्र 42 वर्ष जाति– राजपुत
10. महेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति– राजपुत
11. मोहरूराम पुत्र मांगू उम्र 50 वर्ष जाति– जाट
12. रूघनाथ पुत्र तेजाराम उम्र 62 वर्ष जाति– जाट
13. राजकुमार पुत्र रिछपाल उम्र 30 वर्ष जाति– अहीर(यादव)
14. राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम उम्र 32 वर्ष जाति– जाट
15. विनोद पुत्र मंगलाराम उम्र 30 वर्ष जाति– जाट
16. शेरसिंह पुत्र जलसिंह उम्र 45 वर्ष जाति– राजपुत
17. सत्यनारायण पुत्र भवानीसिंह उम्र 35 वर्ष जाति– अहीर(यादव)
18. सरदारा पुत्र मांगू उम्र 50 वर्ष जाति– जाट
19. सरोजकंवर पुत्री सज्जनसिंह उम्र 40 वर्ष जाति– राजपुत
20. हरबक्शा पुत्र तेजाराम उम्र 35 वर्ष जाति– जाट
    निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
21. प्रबंधक , बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नांगल,
22. प्रबंधक , बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गढटकनेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23 प्रबंधक , भूमि विकास बैंक शाखा श्रीमाधोपुर
24 प्रबंधक , पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ
25 प्रबंधक , दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा अजीतगढ
26 पटवारी ,पटवार हल्का आसपुरा
27 उप पंजीयक अजीतगढ
28 उपतहसीलदार अजीतगढ
29 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितः—

श्री विक्रम सिंह बांकावत , एडवाकेट वादी

श्री निखिल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2,3, 12, 13,17 व 20

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 29 की ओर से

<u>वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>—: निर्णय :—</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 2.62है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. है। जिसके हिस्सा 7/144 भाग का वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है ।उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है, परन्तु मौके पर बंटी हुई । राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम निम्न तालिका में अंकितानुसार खातेदारी दर्ज चली आ रही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी

1. सुधाकर दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित हिस्सा 7/144

प्रतिवादी संख्या 1 ता 20

1- उम्मेदसिंह पुत्र चन्द्रसिंह हिस्सा–1/192
2- कानाराम पुत्र तेजाराम हिस्सा–7/96
3- किशनाराम पुत्र तेजाराम हिस्सा–7/96

4- जयसिंह पुत्र फौजूसिंह हिस्सा–1/96
5- माधूसिंह पुत्र चन्दसिंह हिस्सा–1/192
6- फूलकंवर पत्नि सज्जनसिंह हिस्सा–1/384
7- फूलाराम पुत्र मांगुराम हिस्सा–212963/1886400
8- भंवरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा–1/32
9- मन्जूकंवर पुत्री सज्जनसिंह हिस्सा–1/384
10- महेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा–1/384
11- मोहरूराम पुत्र मांगू हिस्सा–7/144
12- रूघनाथ पुत्र तेजाराम हिस्सा–7/96
13- राजकुमार पुत्र रिछपाल हिस्सा–1273/52400
14- राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम हिस्सा–59/384
15- विनोद पुत्र मंगलाराम हिस्सा–59/384
16- शेरसिंह पुत्र जलसिंह हिस्सा–1/32
17- सत्यनारायण पुत्र भवानीसिंह हिस्सा–1273/52400
18- सरदारा पुत्र मांगू हिस्सा–1273/26200
19- सरोजकंवर पुत्री सज्जनसिंह हिस्सा–1/384
20- हरबक्शा पुत्र तेजाराम हिस्सा–7/96

उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है , परन्तु मौके पर कई सालो से बंटी होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त है । मौके पर चले आ रहे बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार वादी कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 2.62है0 के उत्तरी भाग की तरफ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की हिस्सा 7/144 भूमि अर्थात् 0.1274है0 भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी बिन्दुओ व लाल स्याही से सीमांकित किया गया है । जिसकी पूर्व पश्चिम नाप 198.6 फुट व उत्तर दक्षिण 69 फुट है । जिसके पूर्व में प्रतिवादी संख्या 18 सरदारा की भूमि पश्चिम में आसपुरा गढटक[illegible] 18 फुट चौडाई , दक्षिण मे प्रतिवादी संख्या 20 हरबक्शा की भूमि है। [illegible] भूमि क्रय करने के बाद उक्त भूमि को विकसीत करते हु[illegible] उपजाउ बनाई है तथा चारों तरफ पुख्ता बा[illegible] इस प्रकार मौके पर वादी एव प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त चले [illegible]कर उक्त भूमि को अपनी अपनी आवश्यकतानुसार विकसीत कर रखा है। उक्त भूमि अर्सा कदीम से साबिक खातेदारान के मध्य मौके पर विभाजित होकर सभी पक्षकारान अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह , बाउन्ड्री वाल आदि कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में लाखो रूपये लगाकर व बडी मेहनत करके उक्त भूमि को समतल , उपजाउ व विकसीत कर रखा है तथा बडी संख्या में पेड पौधे लगा रखे है तथा निवास के लिए बांस का छानछप्पर बना रखा है । इस प्रकार वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि की अलग अलग हद हदुद व सीमा चिन्ह कायम कर रखे है तथा प्रतिवादीगण भी अलग अलग काबिज काश्त होकर अपनी आवश्यकतानुसार उक्त भूमि को विकसीत कर रखा है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है , परन्तु मौके पर बंटी हुई । वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का हक सरोकार नही है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है परन्तु मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवार हो रखा है। उक्त वर्णितानुसार व संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार वादी अपने हक अधिकार व खातेदारी की भूमि पर बतौर खातेदार अलग काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि की अलग से बाउन्ड्री वाल आदि करके अलग से सीमा चिन्ह कायम कर रखे है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 ने अपनी अपनी भूमि की अलग अलग सीमाएं कायम की हुई । इस प्रकार उक्त भूमि मौके पर बंटी होकर वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है । जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में सामलाती चली आ रही है ।उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई परन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चले आने के कारण वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नही कर पा रहे तथा सरकारी अनुदान सहायता , ऋण आदि प्राप्त नही कर पा रहे है । वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण 1 ता 20 को उक्त भूमि का तकास्मा करवाकर अपने अपने कब्जे काश्त की भूमि की अलग से जमाबंदी व राजस्व रिकोर्ड दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे है तथा दुसरी स्थिति में उक्त भूमि में सहखातेदार की संख्या अधिक होने के कारण उक्त सभी सहखातेदार एक साथ बंटवारे हेतु उपस्थित नही हो पाने के कारण भी उक्त भूमि का तकास्मा नही हो पा रहा । जिसके लिए वादी ने काफी प्रयास किये । इसी के चलते वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को उक्त भूमियो का मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार तकास्मा करवाने व राजस्व रिकोर्ड , नक्शा ट्रेस मे अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया , परन्तु प्रतिवादीगण हमेशा समयाभाव बताकर टालमटोल करते रहे है । वर्तमान में भूमि की बढती किमतो को देखकर एवं वादी द्वारा लाखो रूपये लगाकर अपनी भूमि को अत्यधिक विकसीत , उन्नत कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार एक दुसरे के हक में राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने एवं तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे है । जिसका प्रतिवादीगण को किसी किस्म का हक सरोकार नही है । इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह

कानूनी अधिकारी है । इसलिये वादपत्र की मद नम्बर 1 व 3 में वर्णित वादी के कब्जे काश्त की भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए.बी.सी.डी बिन्दुओ से दर्शाया गया है, का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी को उसके कब्जा काश्त भूमि का अलग से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग से इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वर्तमान में जमीनो की किमतों के बढ जाने के कारण एवं वादी द्वारा लाखो रूपये लगाकर एवं मेहनत आदि करके अपनी भूमि को काफी विकसीत कर लिये जाने के कारण वादीगण की भूमि बेशकीमति हो गई है । प्रतिवादीगण अधिक संख्या में होने के कारण एक साथ एक जगह तकास्मा हेतु उपस्थित नही हो रहे है तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे है एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लगे है तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं बिना तकास्मा करवाये अन्य अजनबी व्यक्तियो को बेचान व अन्तरण करने पर आमादा हो रहे है । जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं है । यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो जावेगे तो वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी सुरत में संभव नही होगा । इसलिये वादी प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के विधिक अधिकारी है । इसलिये प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अर्सा करीब सप्ताह भर पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना कर दिया तथा वादी के उनके कब्जे काश्त की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने लगे तथा बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकिया देने लगे तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना कर दिया । इस पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है । वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया किकृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 2.62है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की हिस्सा 7/1[illegible] अर्थात् 0.1274है0 भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी,सी,डी बिन्दुओं से लाल स्याही से रेखांकित किया गया है , जिसकी पूर्व पश्चिम नाप 198.6फुट व उत्तर दक्षिण 69 फुट है तथा जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 18 सरदारा की भूमि, पश्चिम में आसपुरा गढटकनेत सडक , उत्तर में रास्ता 16 फुट चौडाई , दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 20 हरबक्शा की भूमि है, का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी को उसके कब्जा काश्त की उक्त भूमि का तन्हा काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी की भूमि की अलग से जमाबंदी जारी की जावे तथा राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

...में वादी की भूमि का अलग से अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है । दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया ।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । जिस पर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 12, 13,17 व 20 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गौड , प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल यादव व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल दुधवाल ने वकालनामा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 11, 16, 19 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 29 की तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 11, 16, 19 व 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 21 ता 28 के खिलाफ वकील वादी द्वारा वादपत्र विड्रा किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 21 ता 28 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा किए जाने की स्वीकृति दी गई । प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 18 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मौक पर बाहमी बंटवारानुसार चले आ रहे कब्जे काश्त अनुसार उनके मध्य बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब दावा पेश नही करके मौके पर चले आ रहे कब्जा काश्त व बंटवारा अनुसार वादी के साथ ही प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का तकास्मा किए जाने पर प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों का तकास्मा किए जाने बाबत सहमति प्रदान की। उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर [illegible] के निवेदन एवं वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति जाहिर करने व [illegible]रान के मध्य बाहमी बंटवारा अनुसार चले आ रहे कब्[illegible] अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हे[illegible] दिये जाने से वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति होने से तनकीयात काय[illegible]हीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 12.04.2023 को प्रारम्भिक डिक्री की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

[illegible] अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प– 51 / 2008 / विविध / 10346 दिनांक 06.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर [illegible] पत्रांक 836 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन [illegible] मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से [illegible] गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ. 2023 / 1282 दिनांक 03.08.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के [illegible] होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2023 को पेश हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई इस आशय का पेश करने पर कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिकी की पालना रिपोर्ट में विभाजन प्रस्ताव प्रकरण हाजा में प्रस्तुत हो चुका है। इस पर वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की गई ।

वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 03.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है—

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :—

क्र.सं.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा	रकबा
1	राजेन्द्र , विनोद पुत्र मंगलाराम जाति जाट	569/1	0.8050 है0
2	फूलाराम पुत्र मांगुराम जाति जाट	569/2	0.2950 है0
3	सत्यनारायण पुत्र भवानी सिंह राजकुमार पुत्र रिछपाल जाति अहीर (यादव)	569/3	0.1270 है0
4	मोहरूराम पुत्र मांगु जाति जाट	569/4	0.1100 है0
5	सरदारा पुत्र मांगु जाति जाट	569/5	0.1100 है0
6	सरदारा,मोहरूराम पुत्रगण [illegible]	569[illegible]	0.0340 है0
7	सुधाकर दीक्षित पुत्र अशोक कुमार दीक्षित जाति ब्राह्मण	[illegible]9/7	0.1270 है0
8	हरबक्सा पुत्र तेजाराम जाति जाट	569/8	0.1900 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

9	किशनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट	569 / 9	0.1900 है0
10	कानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट	569 / 10	0.1900 है0
11	रूघनाथ पुत्र तेजाराम जाति जाट	569 / 11	0.1900 है0
12	उम्मेदसिंह, नाथूसिंह पुत्रगण चन्द्रसिंह 285 / 2520 हिस्सा, जयसिंह पुत्र फौजूसिंह 285 / 2520 हिस्सा, फूलकंवर पत्नि सज्जनसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह, मंजू कंवर, सरोज कंवर पुत्री सज्जनसिंह 300 / 2520 हिस्सा, भंवरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, शेरसिंह पुत्र जलसिंह 1650 / 2520 हिस्सा जाति राजपूत	569 / 12	0.2520 है0

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी एवं मौका स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ. / 2023 / 1282 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 15.0[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)